

परिपत्र


विषय:- राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद द्वारा सत्र 2017-19 के 2 वषीय PGDM(FM) पाठ्यक्रम हेतु आवेदन।

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद द्वारा संचालित 2 वषीय PGDM(FM) पाठ्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों को नामित किये जाने हेतु इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न प्रकार हैं :


1. यह पाठ्यक्रम भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अधिकारियों में वित्तीय कौशल विकसित करने की दृष्टि से केन्द्रीय योजनान्तर्गत पोषित तथा प्रायोजित (Sponsored) एवं राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद द्वारा संचालित किया जायेगा।
2. राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (NIFM) वर्ष 1993 से एशिया के प्रतिष्ठित प्रबंध संस्थान के रूप में कार्यरत है।
3. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेन्ट (एफ.एम.) के सत्र 2017-19 का पाठ्यक्रम 5 जून, 2017 से प्रारम्भ होगा।
4. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी दिनांक 01.05.2017 को 50 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।
5. स्नातक में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए।
6. संस्थान द्वारा प्राप्त प्रवेश आवेदन पत्रों को मापदण्ड अनुसार छंटनी कर प्रायोजित पात्र अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार व ग्रुप डिस्कशन हेतु आमंत्रित किया जावेगा। ऐसे पात्र अभ्यर्थियों को माह मई, 2017 में अन्तिम रूप से संस्थान द्वारा चयनित कर लिया जायेगा।
7. यह पाठ्यक्रम आवासीय है।
8. राज्य सरकार द्वारा लेखा सेवा के अधिकारियों को नामित (Nominate) किया जायेगा। पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस, पठन सामग्री, अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के खर्च को संस्थान/भारत सरकार बहन करेगी। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के दैनिक निर्वाह भत्ता का नियमानुसार पुनर्भरण किया जाएगा।
9. कार्यक्रम में व्यक्तिगत व्यय यथा मेस चार्ज आदि नामित अधिकारी द्वारा स्वयं बहन किया जावेगा।
10. प्रायोजित (Sponsored) अधिकारी को लेपटॉप संस्थान के द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जावेगा।
11. कैम्पस में सुराजित लाईब्रेरी, कम्प्यूटर लैब, आवासीय सुविधा व इन्डोर व आउटडोर खेल सुविधा उपलब्ध है।

आवेदन पत्र का प्रारूप तथा विस्तृत जानकारी एन.आई.एफ.एम. संस्थान की वेबसाइट <http://www.nifm.ac.in> पर देखी जा सकती है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन वेबसाइट पर दिए गये निर्धारित प्रारूप में संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को दिनांक 15.03.2017 तक प्रस्तुत करें।


(एजाज नबी खान)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (समन्वय) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समस्त कौषाधिकारी, राजस्थान। कृपया जिले में कार्यरत राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों को इस परिपत्र की जानकारी कराने की व्यवस्था करें।
5. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को भेज कर लेख है कि उक्त पाठ्यक्रम के इस पत्र को वेबसाइट पर प्रदर्शित करावें।


संयुक्त शासन सचिव